न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सचिन आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 22/22 उनवान

महेश पुत्र श्री रतनलाल जाति वैश्य निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राज. सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तह0 वैर जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
उपस्थित 1. श्री राजेश सैनी अधिवक्ता–प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार वैर–अप्रार्थी

निर्णय दिनांक –25.09.2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि गत आराजी ख0न0 पुराना 475 रकबा 6 बीघा जिसका नया ख0नं0 605 रकबा 0.9700 हैक्ट. वाके ग्राम हलैना तहसील वैर में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त आराजी ख0नं0 पुराना 475 रकबा 6 बीघा में से खातेदार मोहनसिंह पुत्र सामलसिंह जाति जाट निवासी हलैना से 1/448 हिस्सा व खातेदार थानसिंह पुत्र सामलसिंह जाति जाट निवासी हलैना से 1/10 हिस्सा से 33/11616 हिस्सा रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किये थे जिनका इंतकाल संख्या 1638 एवं 1846 है। उक्त इंतकालों का अमल जमाबंदी संवत 2060 लगायत 2063 में आ गए और प्रार्थी उक्त आराजी में 1/480 हिस्से का खातेदार काश्तकार हो गया। राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी संवत 2064–2067 बनाते समय सहवन से अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थी महेशचंद पुत्र रतनलाल जाति वैश्य के निवासी हलैना के स्थान पर सामिल शरीफ में प्रार्थी महेशचंद पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी बयाना कर दिया है। जबकि प्रार्थी जाति से वैश्य निवासी हलैना तहसील वैर और प्रार्थी का नाम जाति वैश्य निवासी हलैना इंतकाल संख्या 1638 एवं 1846 व जमाबंदी संवत 2060–2063 में सही दर्ज है। संवत 2064 लगायत 2067 में राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रार्थी की जाति व निवासी के गलत अंकन के आधार पर वर्तमान जमाबंदी 2075 लगायत 2078 में चला आ रहा है। उक्त अशुद्धि के आधार पर प्रार्थी को सख्त हकतलफी हो रही है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति व निवासी के गलत अंकन को शुद्ध करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार वैर से दिनांक 21.05.2022 को निवेदन किया तो प्रार्थी ने उक्त दुरस्ती करने से इंकार कर दिया। व न्यायालय हाजा की शरण लेने को कहा। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवा में पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी महेशचंद पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी बयाना के नाम से हो रहे गलत इंद्राज को शुद्ध करते हुए प्रार्थी का नाम महेशचंद पुत्र रतनलाल जाति वैश्य निवासी हलैना तहसील वैर किया जावे।

प्रार्थी की और से प्रार्थना–पत्र के साथ नकल जमाबंदी सवंत् 2075–2078, संवत 2060–2063, जमाबंदी संवत 2068–2071, एवं नकल जमाबंदी संवत 2064 से 2067, नकल नामांतरण संख्या 127 व 1272 व, वाकेग्राम हलैना, पहचान पत्र, पैन कार्ड, पीएनबी बैंक हलैना संलग्न किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि मुताबिक जांच पटवारी हल्का हलैना ख0नं0 605 रकवा 0.97 है0 (गत ख0नं0 475 रकवा 6 बीघा) में महेश पुत्र रतनलाल जाति जाट साकिन बयाना दर्ज है। जबकि नामांतरण संख्या 1638 में महेश चंद पुत्र रतनलाल हि0 1/480 जाति वैश्य साकिन देह खातेदार दर्ज हुआ। जिसका अमल नोट जमाबंदी संवत् 2060–63 में लगा